International Journal of Advanced Research in Engineering Technology & Science
ISSN: 2349-2819
Impact Factor: 7.10
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal)
Email: editor@ijarets.org Volume-12, Issue-11 November – 2025 www.ijarets.org

भारतीय संसद में विधायी प्रक्रिया और उसकी प्रभावशीलता: एक शोध पत्र

डॉ0 गृहशोभा

प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय, तेहरा विकास खण्ड – अतरौली

जनपद – अलीगढ़

परिचय

भारतीय संसद, जो भारत गणराज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था है, देश के लोकतांत्रिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह न केवल कानूनों का निर्माण करती है, बल्कि सरकार की नीतियों और कार्यों पर भी नियंत्रण रखती है। भारतीय संसद में विधायी प्रक्रिया एक जटिल और बहु-चरणीय प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श, संशोधन और अनुमोदन शामिल हैं। इस शोध पत्र का उद्देश्य भारतीय संसद में विधायी प्रक्रिया का विस्तृत विश्लेषण करना और इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। हम इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों, इसमें शामिल हितधारकों और इसकी ताकत और कमजोरियों की जांच करेंगे।

विधायी प्रक्रिया के चरण

भारतीय संसद में किसी विधेयक को कानून बनने के लिए निम्नलिखित प्रमुख चरणों से गुजरना होता है:

1. **विधेयक का पुरःस्थापन:** कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है, सिवाय धन विधेयकों के, जो केवल लोकसभा में ही पुरःस्थापित किए जा सकते हैं। विधेयक या तो सरकार द्वारा (सरकारी विधेयक) या किसी निजी सदस्य द्वारा (निजी सदस्य विधेयक) पेश किया जा सकता है।
2. **प्रथम वाचन:** इस चरण में, विधेयक का शीर्षक और उद्देश्य सदन के समक्ष पढ़ा जाता है। विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित की जाती हैं, और इस स्तर पर कोई विस्तृत चर्चा या बहस नहीं होती है।
3. **द्वितीय वाचन:** यह चरण विधेयक पर विस्तृत विचार-विमर्श और बहस के लिए महत्वपूर्ण है। इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:
   - **सामान्य चर्चा:** सदन विधेयक के सिद्धांतों और उद्देश्यों पर सामान्य चर्चा करता है। सदस्य विधेयक के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करते हैं।

- **खंडवार विचार:** विधेयक के प्रत्येक खंड पर विस्तार से विचार किया जाता है। सदस्य संशोधनों का प्रस्ताव कर सकते हैं, जिन पर बहस होती है और मतदान किया जाता है।

4. **समिति चरण:** द्वितीय वाचन के बाद, विधेयक को आमतौर पर विभागीय स्थायी समिति या प्रवर समिति को भेजा जाता है। ये समितियां विधेयक के प्रावधानों की गहन जांच करती हैं और अपनी सिफारिशों के साथ सदन को रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। समिति चरण विधेयक में विशेषज्ञता और विस्तृत जांच प्रदान करता है।
5. **तृतीय वाचन:** इस चरण में, विधेयक को समग्र रूप से पारित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस स्तर पर कोई नया संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, केवल विधेयक के स्वरूप पर संक्षिप्त बहस हो सकती है। सदन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए मतदान करता है।
6. **दूसरे सदन में प्रक्रिया:** यदि विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है, जहां यह समान चरणों (प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचन) से गुजरता है। दूसरा सदन विधेयक को पारित कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है या उसे अस्वीकार कर सकता है।
7. **सहमति और अधिनियमन:** यदि दोनों सदन विधेयक के पाठ पर सहमत हो जाते हैं, तो इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है और भारत के राजपत्र में प्रकाशित होता है। यदि दोनों सदनों में असहमति होती है, तो गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है (धन विधेयकों को छोड़कर)।

विधायी प्रक्रिया की प्रभावशीलता

भारतीय संसद में विधायी प्रक्रिया कई मायनों में प्रभावी है:

- **विचार-विमर्श और बहस:** प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर विस्तृत विचार-विमर्श और बहस की अनुमति देती है, जिससे कानूनों की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- **संसदीय समितियां:** विभागीय स्थायी समितियां और प्रवर समितियां विधेयकों की गहन जांच करती हैं और विशेषज्ञता प्रदान करती हैं।
- **प्रतिनिधित्व:** संसद देश के विभिन्न क्षेत्रों और हितों का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे कानूनों में विविधता और समावेश सुनिश्चित होता है।
- **जवाबदेही:** विधायी प्रक्रिया सरकार को अपनी नीतियों और प्रस्तावित कानूनों के लिए संसद और जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है।

- **संशोधन की गुंजाइश:** प्रक्रिया में विभिन्न चरणों में संशोधनों का प्रस्ताव करने और उन पर विचार करने की अनुमति है, जिससे कानूनों को अधिक प्रासंगिक और प्रभावी बनाया जा सकता है।

हालांकि, भारतीय विधायी प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां और कमियां भी हैं जो इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकती हैं:

- **अवरोध और स्थगन:** राजनीतिक कारणों से सदनों में कामकाज में अक्सर बाधा आती है और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है, जिससे विधायी कार्य प्रभावित होता है।
- **अपर्याप्त चर्चा:** कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाती है, खासकर जब सरकार के पास बहुमत होता है।
- **संसदीय समितियों की सीमित भूमिका:** सभी विधेयकों को समितियों को संदर्भित नहीं किया जाता है, और समितियों की सिफारिशों को अक्सर सरकार द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है।
- **विधायी क्षमता की कमी:** सांसदों के पास अक्सर जटिल तकनीकी और कानूनी मुद्दों पर विचार करने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता और संसाधन नहीं होते हैं।
- **कार्यपालिका का प्रभुत्व:** सरकार के पास लोकसभा में बहुमत होने के कारण, कार्यपालिका का विधायी एजेंडा अक्सर प्रभावी होता है, और विपक्ष की आवाज कमजोर पड़ जाती है।
- **अध्यादेशों का बार-बार उपयोग:** सरकार द्वारा अध्यादेशों का बार-बार उपयोग संसद की विधायी भूमिका को कमजोर करता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

1. **संसदीय व्यवधान**: बार-बार हंगामा और स्थगन से समय और संसाधनों की बर्बादी होती है।
2. **असमान भागीदारी**: कुछ सांसदों, विशेष रूप से नए या स्वतंत्र, को चर्चा में कम अवसर मिलते हैं।
3. **जटिल प्रक्रिया**: विधायी प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली हो सकती है, जिससे त्वरित निर्णय लेना मुश्किल होता है।
4. **लॉबिंग और दबाव समूह**: कॉर्पोरेट और अन्य हित समूह कानून निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे जनहित प्रभावित हो सकता है।
5. **क्षमता की कमी**: कुछ सांसदों को जटिल नीतिगत मुद्दों की गहरी समझ नहीं होती, जिससे चर्चा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

सुधार के लिए सुझाव

1. **संसदीय अनुशासन**: सख्त नियम और दंड के माध्यम से व्यवधान को कम करना।
2. **संसदीय समितियों का सशक्तिकरण**: समितियों को अधिक संसाधन और स्वायत्तता प्रदान करना।
3. **सांसदों का प्रशिक्षण**: नीतिगत और तकनीकी मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
4. **डिजिटल संसद**: ई-परामर्श और वर्चुअल सत्रों के माध्यम से भागीदारी बढ़ाना।
5. **पारदर्शिता**: विधायी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सार्वजनिक परामर्श को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

भारतीय संसद में विधायी प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य है जो देश के शासन और विकास के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रिया विचार-विमर्श, बहस और संशोधन के लिए अवसर प्रदान करती है, जिससे कानूनों की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। हालांकि, अवरोध, अपर्याप्त चर्चा, संसदीय समितियों की सीमित भूमिका और कार्यपालिका के प्रभुत्व जैसी चुनौतियां इसकी प्रभावशीलता को कम कर सकती हैं। विधायी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, संसदीय कामकाज में सुधार, विधेयकों पर विस्तृत चर्चा सुनिश्चित करना, संसदीय समितियों को मजबूत करना और अध्यादेशों के उपयोग को सीमित करना आवश्यक है। एक मजबूत और प्रभावी विधायिका भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

यह शोध पत्र भारतीय संसद में विधायी प्रक्रिया की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। भविष्य के शोध में विशिष्ट विधेयकों या विधायी क्षेत्रों का अधिक गहराई से विश्लेषण किया जा सकता है ताकि प्रक्रिया की बारीकियों और प्रभावशीलता का बेहतर मूल्यांकन किया जा सके।

संदर्भ

- भारतीय संविधान, 1950।
- लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम।
- काश्यप, सुभाष सी. (2008). *भारतीय संसद: इतिहास और विकास*।
- PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च (2020). *संसदीय कार्यवाही पर वार्षिक रिपोर्ट*।

- मिश्रा, लक्ष्मीधर (2015). *भारतीय शासन और राजनीति*।